

५/२/२१

बकीबंद वादी उपर वादी ने प्रतिवादीगण की तगवी हेतु तगवाना पेश नहीं किया। वादी को तगवी हेतु तगवाना पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये। दि० ११/११/२० को अदालत ने एक अति अग्रर दिया गया लेकिन वादी ने तगवी हेतु तगवाना पेश नहीं किया अतः पूर्वी काणून अन्तर्गत ०९२०५५८ के तहत अदर तकरीफ में खारिज किया गया है। पणवणी नम्बर से कर लेका मुक्त दावा पणवणी के साथ संलग्न है।
(सुनाया गया)

सहायक कलक्टर
अलवर

